पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका, भोपाल
दिनांकः 03.05.2018

पत्रांक–पमरे/का–सडिपुका/सेटलमेंट/पेशन अदालत

मुख्य सूचना अधिकारी,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

विषयः पेंशन अदालत –2018(प्रथम) की अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

***

उपरोक्त संबंध में लेख है कि पेंशन अदालत जून–2018(प्रथम) की अधिसूचना अपने वेबसाईट प.म.रेल के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। वेबसाईट पर "Pension Adalat 2018(First), CRWS/Bhopal" लिखा होना चाहिए।

कृपया *संलग्न* अपने वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

संलग्नः 1 सॉफ्ट कॉपी। (PDF FILE)

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका,भोपाल

W.C.R.

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका, भोपाल
दिनांकः 03.05.2018

पत्रांक–पमरे / का–सडिपुका / सेटलमेंट / पेशन अदालत

सर्व संबंधित
सडिपुका, भोपाल

विषय :– पेंशन अदालत जून–2018(प्रथम) के आयोजन के संबंध मे।
संदर्भ :–रे.बो का पत्रांक : E(W)95/PA/1 दिनांकः 12.10.95

....

उपर्युक्त विषय मे आपको अवगत कराया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों / मृत्यु प्रकरण में आश्रित पारिवारिक सदस्यों, की पेशन, अंतिम भुगतान राशि एवं अन्य ड्यूज से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु सडिपुका भोपाल मे दिनांक– 15 जून–2018 को अपराह्न 15.00 बजे **"पेंशन अदालत–2018 (प्रथम)"** का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पेंशनर / सेवानिवृत्त कर्मचारी / आश्रित पारिवारिक सदस्य उक्त विषय में अपनी शिकायत तीन प्रतियों मे मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक विभाग), प. म. रेल, सडिपुका निशातपुरा, भोपाल 462010 को **दिनांकः 25.05.2018** तक सेटलमेंट अनुभाग मे रखे बॉक्स मे जमा करा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

पेंशनर अपने आवेदन / लिफाफे के ऊपर शीर्षक **"पेंशन अदालत –2018(प्रथम)"** अवश्य दर्शायें।

शिकायतों का निराकरण दिनांकः 15.06.2018 को पेंशन अदालत में किया जाएगा।

कृपया इस सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
सडिपुका / भोपाल

प्रतिलिपि :– 1. मु.का.प्र. महोदय को सादर सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. कार. लेखाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ।
4. समस्त कल्याण निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
सडिपुका / भोपाल